न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 178/2020

मालाराम पुत्र श्री हनुमानाराम जाति जाट, निवासी चारण की ढाणी तन परसरामपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार झुंझुनूं आदेश दिनांक 31.01.2020 उनवानी सरकार बनाम मालाराम मु0न0 50/2019 अ0धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री राजेश पूनियां एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.10.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ़ के निर्णय दिनांक 31.01.2020 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि जमीन हाल ख0न0 2722 रकबा 0.90 हैक्टर गै0मु0 नदी सरहद राजस्व ग्राम चारण की ढाणी तन परसरामपुरा तहत तहसील नवलगढ मे स्थित है। अदालत मातहत ने उक्त जमीन मे से 0.08 हैक्टर जमीन पर तथाकथित रूप से टीनसैट, चार दीवारी व मकान बनाकर तथाकथित रूप से अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमण स्थल से बेदखल करने एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। मौजूदा प्रकरण मे धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां समरी कार्यवाही के द्वारा सदभाविक काबिज व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता। इस प्रकरण मे बाद रेगुलर कार्यवाही एवं शपथ पूर्वक साक्ष्य के बाद ही बेदखल किया जा सकता है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने मे विवादित जमीन के पुराने राजस्व रिकार्ड पर विश्वास करने मे अनदेखी की है। जमीन हाल ख0न0 2722 के पुराने नं0 5192/3361 थे तथा ख0न0 5192/3361 के पुराने ख0न0 1644 थे पुराने ख0न0 1644 संवत् 2016 से संवत् 2038 तक आसकंवर बेवा बगनसिंह हिस्सा 1/5 व किशनसिंह, मूलसिंह, उम्मेदसिंह, जयसिंह, झोदसिंह जाति राजपूत की खातेदारी मे दर्ज रही है बाद मे राजस्व कर्मचारियों ने अपनी गलती से उक्त जमीन की गलत रूप से किस्म गै0मु0 नदी दर्ज कर दी उक्त जमीन मालाराम ने पूर्व खातेदार जयसिंह से खरीदी थी तक से अपीलान्ट का सदभाविक कब्जा चला आ रहा है। मौजूदा प्रकरण मे अब्दुल रहमान बनाम सरकार व जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के प्रावधान लागू नही होते। ख0न0 1644 के गत ख0न0 2063 थे। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय मे अपीलान्ट उक्त जमीन पर अतिक्रमी कैसे है इसका आधार दर्ज नही किया आलौच्य निर्णय स्पष्ट नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब देही को नजर अन्दाज किया है। विवादित जमीन के पूर्व खातेदारों ने किस्म परिवर्तन के विवाद के बाबत सक्षम न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर रखा है। विवादित जमीन मे अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। ख0न0 2722 पर तथा कथित रूप से अतिक्रमण के कारण अपीलान्ट के विरूद्व पहले अदालत मातहत के यहां मु0न0 6/2010 उनवानी सरकार बनाम मालाराम चला जिसमे दिनांक 19.09.2011 को अदालत मातहत ने

जिला कलक्टर झुंझुनू

बेदखली के आदेश पारित किये उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर झुंझुनूं के न्यायालय मे अपील सं0 92/2011 पेश की जो दिनांक 11.08.2011 को खारिज हुई। जिला कलक्टर झुंझुनूं के निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं के यहां द्वितीय अपील नं0 70/2011 उनवानी मालाराम बनाम राज0 सरकार पेश की जो दिनांक 09.04.2018 को खारिज हुई। अपीलान्ट ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं के निर्णय के विरूद्व वर्तमान मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी पेश कर रखी है जो विचाराधीन है। कानून से एक ही तथाकथित अतिक्रमण के बाबत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत दो बार कार्यवाही अमल मे नही लाई जा सकती किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार दण्डित नही किया जा सकता। आलौच्य निर्णय 31.01.2020 के विरूद्व अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी एल आर संख्या 1136/2020 झुंझुनूं पेश की जो निगरानी दिनांक 24.08.2020 को खारिज हो गई उक्त निगरानी के निर्णय मे माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने आदेश दिया कि प्रार्थी को न्यायहित मे सक्षम न्यायालय मे दिनांक 24.08.2020 से एक माह मे अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दी तथा तक तक तक के लिए अपीलान्ट को अतिक्रमण को स्थल से बेदखल नही किये जाने का आदेश दिया। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ द्वारा पारित अलौच्य निर्णय दिनांक 31.01.2020 खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान दस्तावेज किता 4 पेश किये तथा अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि उसने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 2722 की किस्म गैर मुमकिन नदी है। अपीलान्ट के विरूद्व अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ ने दिनांक 19.02.2011 को बेदखली आदेश पारित किये थे जिसकी अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं के यहां की गई। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा अपील खारिज किये जाने पर माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर के आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनूं के यहां अपील दायर की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनूं के द्वारा अपील खारिज किये जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदिनांक तक विचाराधीन है। अब पुनः अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ ने एक दूसरा और मुकदमा अपीलान्ट के विरूद्व दायर किया है। एक ही प्रकरण मे अपीलान्ट के विरूद्व दो-दो मुकदमे दायर नही किये जा सकते है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर 50 वर्षो से कब्जा है। अपीलान्ट ने विवादित जमीन पूर्व खातेदारों से क्रय की है। अपीलान्ट विवादित भूमि का सद्भावी क्रेता है। विवादित जमीन की किस्म सैटलमेन्ट से पूर्व बारानी थी जिसे सैटलमेन्ट के दौरान बदला गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2020 को खारिज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट के विरूद्व पूर्व मे माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं मे निर्णय पारित किया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज की गई है जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनूं मे अपील दायर की जिसके भी खारिज हो जाने पर अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान मे वाद दायर किया है। अपीलान्ट माननीय न्यायालय मे अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ के आदेश के विरूद्व गलत तरीके से गये है। अपील सारहीन है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

A

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2020 के विरूद्ध अपील न्यायालय के समक्ष 21.09.2020 को प्रस्तुत की है। अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व से थी उसके बावजूद अपील प्रस्तुत करने देरी की है, साथ ही दिन – प्रतिदिन की देरी के कारण का भी अकंन नहीं किया है। परन्तु न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण पूर्ण सुनवाई तथा गुणावगुण के आधार किया जाना उचित है। अतः अपीलार्थी को दफा 5 मि.अ. का लाभ देते हुये अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। प्रकरण में अवलोकन व मनन से यह तथ्य सामने आये है :–

1. अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ स्थित विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टर अपीलार्थी की खरीद शुदा भूमि है, जिसपर वह काबिज काश्त है तथा आराजी की किस्म गैर मुमकीन नदी की बाबत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के यहां विचाराधीन चल रहा है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के टाईटल की बाबत जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसे वैध नहीं माना जा सकता है। चुंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि राजकीय है तथा किस्म गैर मुमकीन नदी के रूप में दर्ज है तथा जबतक विवादित आराजी को टाईटल तय नहीं होता तब तक वह वर्तमान रिकार्ड के अनुसार प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी मानी जावेगी। इसलिए इस पर अपीलार्थी द्वारा किये गये कब्जे को सही नहीं माना जा सकता है।
2. अपीलार्थी का दुसरा कथन है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 2722 के गत खसरा नम्बर 5192/3361 थे तथा खसरा नम्बर 5192/3361 के गत खसरा नम्बर 1644 थे, जो संवत् 2016 से 2038 तक खातेदारी अधिकार में रहे है। लेकिन उपरोक्तानुसार अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को विरूद्ध वर्तमान रिकार्ड के अनुसार अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत् एवं उचित है।
3. प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के तथ्य चस्पा होते है। क्योंकि उक्त नजीर के अनुसार 15 अगस्त 1947 में तथा उसके बाद प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि की बाबत जो भी आदेश या परिवर्तन हुऐ है वह अवैध माने जायेगें। अदालत मातहत द्वारा प्रतिबन्धित भूमि पर किये अतिक्रमण के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहत कार्यवाही की है जो विधिसम्मत् है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते है।
4. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुंझुनू
09/10/2020